ई–मेल : comm.tad @gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5 / अभि / सीटीएडी / मंत्री अनुशंषित नहर निर्माण / 2018–19 / 12362–72 दिनांक : 19.06.2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा ।

विषय : तालाब रिपेयर एवं नहर रिनोवेशन कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बांसवाडा का पत्र क्रमांक 801–02 दिनांक 27.08.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 26321–29 दिनांक 28.06.2019 द्वारा तालाब रिपेयर एवं रिनोवेशन कार्यो की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे संदर्भित पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या–2 में वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या–7 में अंकित राशि 104.61 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

(राशि लाखो में)

कार्यकारी एजेन्सी– जल संसाधन विभाग

क.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र / दि	राशि	क्र / दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छापरिया तालाब एवं नहर कार्य का सुदृढ़ीकरण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत छापरिया पं.सं.बासवाडा	बांसवाडा	26321–29 28.06.2019	104.61	06/2019-20	104.61	83.68

उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि 104.61 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की राशि (80%)कॉलम संख्या–8 अनुसार रू. **83.68** लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 50 / 2018–19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1200.93 लाख रू. में से उपलब्ध बचत राशि से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। **कार्यो के संपादन मे प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–**

1. **यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत / सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।**
2. कार्य की निविदा समय पर आमंत्रित की जावे एवं कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जावें। विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी ।
3. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के कम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावें। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को भिजवावें।**
5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
6. कार्यो का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।

कृ.पृ.उ.

7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित नहर निर्माण /2018–19/12362 – 72 दिनांक : 19.06.2020
प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वृत– बांसवाडा।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड बांसवाडा ।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद लाख रू. अन्तर्गत 50/2018–19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1200.93 लाख में उपलब्ध बचत राशि में से उपरोक्त कार्यो हेतु कॉलम संख्या–8 अनुसार प्रथम किश्त (80%) राशि रू. **83.68** लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करावें।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in